[illegible]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

[illegible]

[illegible]तारांकित प्रश्न [illegible]: 3252

13 [illegible], 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

[illegible]

3252. श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री [illegible]

श्री गजानन कोर्तिकरः

श्री [illegible]

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफ॰एस॰एस॰ए॰आई॰) ने असली जैविक कृषि उत्पादों के नाम पर बेचे जा रहे नकली जैविक कृषि उत्पादों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण ह और अपराधियों के खिलाफ क्या कारवाई को गई है;

(ग) क्या एफ॰एस॰एस॰ए॰आई॰ के पास देश म जैविक उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रमाणित प्रयोगशालाओं म पयाप्त आधरभूत संरचना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहों, तो इस संबंध् म सरकार द्वारा क्या सुधरात्मक उपाय किए गए ह; और

(ङ) एफ॰एस॰एस॰ए॰आई॰ द्वारा कृषि और/राज्य सरकारों के सहयोग से भविष्य म ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उठाए गए ह?

[illegible]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) एवं (ख): बाजार म नकली जैविक उत्पादों को उपलब्धता के बारे म मीडिया रिपोट आई ह। ऐसे मुद्दों को समाप्त करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा एवं

मानक (जैविक खाद्य) विनियम- 2017 अधिसूचित किए ह। इन विनियमों म प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जैविक खाद्य का तब तक विनिमाण, डिब्बाबंदी, विक्रय, विक्रय का प्रस्ताव, विपणन या अन्यता वितरण या आयात नहों करेगा जब तक कि वह इन विनियमों के अंतगत विनिर्दिष्ट उपेक्षाओं का पालन नहों कर लेता। ये विनियम निम्नलिखित प्रमाणन-प्रणाली को मान्यता देते हैः-

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कायक्रम (एनपीओपी)
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अंगीकृत भारतीय भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस-इंडिया)
- खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित कोई अन्य मानक प्रणाली।

जैविक खाद्य के व्यवसाय म शामिल सभी खाद्य व्यवसाय प्रचालकों को उक्त विनियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा।

तथापि, किसी लघु मूल उत्पादक या किसी उत्पादक संगठन द्वारा ग्राहक को सीधे बिक्री के माध्यम से विपणित जैविक खाद्य को उक्त अपेक्षा से छूट होगी।

उक्त विनियमों के विनियम-5 के अनुसार जैविक खाद्य के पैकेज पर लेबल पर उत्पाद को जैविक स्थिति के बारे म पूण एवं वास्तविक सूचना दी जाएगी। इन विनियमों के माध्यम से कवर किए गए जैविक खाद्य पर एफएसएसएआई जैविक लोगो अथात् जैविक भारत लोगों, एक यूनिफाइट लोगो- जो प्रमाणन को दोनों प्रणालियों अथात् राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कायक्रम (एनपीओपी) और पीजीएस- इंडिया का द्योतक है, होगा। यह लोगो जैविक खाद्य को गैर-जैविक खाद्य से अलग पहचान के लिए एक पहचान चिह्न है। इस लोगो के नीचे 'जैविक भारत' टैगलाइन होगी जो खाद्य पदाथ के भारत का होने का सूचक है।

सभी जैविक खाद्य, उक्त विनियमों के विनियम 4 म उल्लिखित किसी एक लागू प्रणाली के अंतगत लेबलिग उपेक्षाओं के अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिग तथा लेबलिग) विनियम, 2011 म निर्दिष्ट पैकेजिग तथा लेबलिग उपेक्षाओं का अनुपालन करगे। उक्त विनियमों के विनियम 8 के अनुसार जैविक खाद्य का विक्रेता विशेष रूप से या अपने रिटेल मकन्डाइल के एक भाग के रूप म ऐसे खाद्य को इस तरीके से प्रदर्शित करेगा जो उसे गैर-जैविक खाद्य के प्रदशन से अलग पहचान दे।

इसके अतिरिक्त, भारत से जैविक खाद्य पर जैविक भारत पोटल- जो यूआरएल- https://javikbharat.fssai.gov.in/, पर उपलब्ध है, एफएसएसएआई, कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद नियात विकास प्राधिकरण (अपेडा) तथा पीजीएस- इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसम जैविक खाद्य मानकों, प्रमाणन, प्रक्रिया, खाद्य व्यवसाय प्रचालकों (एफबीओ), उनके जैविक उत्पादों और जिन भौगोलिक क्षेत्रों म ये उपलब्द ह उनके बारे म सूचना दी गई है। जैविक खाद्य उत्पादों को जानकारी खाद्य के नाम और/या कंपनी के नाम से प्राप्त को जा सकती है। इस पोटल के माध्यम से उपभोक्ता उत्पादों को उपलब्धता के संबंध म सभी सूचना प्राप्त कर सकते ह। इस तरह, यह सुनिश्चित करने के पयाप्त प्रावधान है कि वास्तविक/शुद्ध जैविक उत्पाद आसानी से पता लगाए जा सकते ह और प्राप्त किए जा सकते ह।

(ग) एवं (घ): खाद्य सुरक्षा एवं मानक (जैविक खाद्य) विनियमावली, 2017 के अंतगत, सभी जैविक खाद्य पदार्थों का विनिमाण खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियमावली, 2011 के अंतगत यथा लागू संबंधित प्रावधानों के पाल म किया जाएगा। जैविक खाद्य पदार्थों के विनिमाण म, ऐसे अवशिष्टों या इन्सेक्टिसाइड्स जिनके लिए अधिकतम सीमा अधिकतम निर्धारित सीमा या लेवल ऑफ क्वांर्टिफिकेशन (एलओक्यू) के 5 प्रतिशत जो भी अधिक होगी, को छोड़कर, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संदूषकों, विषाक्त पदार्थों और अवशिष्ट) विनियमावली, 2011 के अंतगत यथा लागू संबंधित प्रावधानों का पालन करना होगा। देश म 246 प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं (187 एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित और 59 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं) ह। देश म इनम से 88 प्रयोगशालाएं खाद्य उत्पादों म पेस्टिसाइट अवशिष्ट के परीक्षण के लिए ह।

(ङ): खाद्य सुरक्षआ एवं मानक अधिनियम, 2006 के कायान्वयन और प्रवतन का काय राज्य/संघ राज्य सरकारों का है।

राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य मदों को नियमित निगरानी, अनुसूचन, निरीक्षण और रडम नमूना जांच को जा रही है और विश्लेषण एवं परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं को भेजी जा रही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और उसके अंतगत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का पालन न किए जाने के मामलों म दोषी खाद्य व्यवसाय प्रचालक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतगत कारवाई को जाती है।

*****